

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

(आईएसओ 9001-2008 प्रमाणित संस्थान)

प्रैस नोट

बोर्ड मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान की गई स्थायी मान्यता के आधार पर बोर्ड से स्थायी सम्बद्धता प्राप्त विद्यालयों से अब शैक्षिक सत्र 2017-18 से 2000/-रूपये निरन्तरता शुल्क लिया जाना है, ताकि विद्यालयों के निरन्तर संचालन की प्रमाणिकता बनी रहे। अतः सभी स्थाई मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त विद्यालयों के मुखियाओं को सूचित किया जाता है कि विद्यालय 2000/-रूपये निरन्तरता शुल्क, आवेदन पत्र, मान्यता की सत्यापित प्रति, समिति पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति एवं कार्यरत अध्यापकों की सूची शैक्षिक सत्र 2017-18 से भेजना सुनिश्चित करें।

सचिव